

अकलंक विद्यालय एसोसिएशन

बसंत विहार, कोटा फोन : 422866.

संस्था व संविधान पंजीकरण सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधिनियम के तहत हमारे रजिस्ट्रेशन नं. 89/56-57 दिनांक 19.10.56 में निम्न संशोधन एसोसिएशन के सचिव श्री अविनाश जैन ने संस्था के मूल संविधान में प्रस्तावित संशोधन कार्यकारिणी के सामने विस्तार से प्रस्तुत किये निम्न प्रकार से हैं -

धारा	उपधारा	मूल संविधान	संशोधित संविधान
1	नाम	इस संस्था का नाम श्री अकलंक विद्यालय कोटा होगा	वही
2	स्थान	इस संस्था का कार्य क्षेत्र कोटा होगा	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय बसन्त विहार कोटा रहेगा तथा कार्य क्षेत्र, कोटा जिल्ला तक सीमित होगा। वही
	(अ) भाषा	इस संस्था का कार्य हिन्दी में होगा आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं का भी उपयोग हो सकेगा।	
	(ब) वर्ष	इस संस्था का वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होगा।	

(स) परिभाषा 1. विद्यालय अथवा संस्था से तात्पर्य श्री अकलंक विद्यालय कोटा होगा

2. सदस्य से अर्थ इस संस्था के सदस्य से होगा।

3. कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था की कार्यकारिणी समिति से होगा

4. कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था के सदस्यों के द्वारा चुने जायेगी।

5. कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था के सदस्यों के द्वारा चुने जायेगी।

6. कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था के सदस्यों के द्वारा चुने जायेगी।

इस संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा। हिसाब किताब वित्तीय वर्ष के अनुसार होगा।

विद्यालय से तात्पर्य श्री अकलंक विद्यालय, कोटा एवं समिती द्वारा संचालित अन्य विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादी होंगे।

सदस्य से तात्पर्य उपरोक्त एसोसिएशन के सदस्य से होगा।

कार्यकारिणी से तात्पर्य अकलंक विद्यालय एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति से होगा

साधारण सभा से अर्थ श्री अकलंक विद्यालय एसोसिएशन, कोटा के सभी सदस्यों की साधारण सभा से होगा।



1- संस्था का नाम अकलंक विद्यालय कोटा एसोसिएशन
 2- संस्था का नाम अकलंक विद्यालय कोटा एसोसिएशन
 3- कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था की कार्यकारिणी समिति से होगा
 4- कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था के सदस्यों के द्वारा चुने जायेगी।
 5- कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था के सदस्यों के द्वारा चुने जायेगी।
 6- कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था के सदस्यों के द्वारा चुने जायेगी।

रजिस्ट्रार
 संस्थाएं-कोटा (पंज०)

अध्यक्ष
 अकलंक विद्यालय, एसोसिएशन
 कोटा

सचिव
 अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
 बसंत विहार कोटा

सचिव

अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
 कोटा

सचिव
 (अकलंक विद्यालय एसोसिएशन)

उद्देश्य व उसकी पूर्ति के साधन

1. आकर्षक साधनों द्वारा साक्षरता का प्रचार
2. नवयुवक बालकों को मानव संस्कृति के उद्देश्यों द्वारा कुरांगति कुरांस्कारों से बचना
3. बालक बालिकाओं में सम्यक्ता संस्कृति और विश्व बन्धुत्व की भावनाएँ जागृत करना
4. अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए उत्साह परीक्षाएँ आदि का आयोजन करना
5. राजस्थान के शिक्षा विभाग के नियमानुसार बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रबन्ध करना



6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -

14.

Legal Andy
अध्यक्ष अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
अकलंक विद्यालय, एसोसिएशन
कोटा (संसद विहार कोटा)

ally
सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
कोटा

संस्था के उद्देश्य व उनकी पूर्ति के साधन
आकर्षक साधनों द्वारा साक्षरता का प्रसार
वही
वही
वही

राजस्थान सरकार एवं सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली के शिक्षा विभाग के नियमानुसार बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रबन्ध करना तथा उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय आदि चलाना

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों विशेष रूप से वयस्कों को कार्य विशेष में शिक्षित कर रोजगारीन्मुख शिक्षा देना।

हस्त शिल्प व हस्त कला उद्योगिक शिक्षा के लिए बालक बालिकाओं को शिक्षित करना।

आर्थिक रूप से गहिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। पर्यावरण - असंतुलन के प्रति आम जन को शिक्षित करना।

आम जन को जन-जीवन व स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना

सरकार द्वारा चलाये जाने वाली जनकल्याण की गतिविधियों के प्रति जनता को शिक्षित करना।

प्राकृतिक संपदाओं के दुरुपयोग को रोकते हुए उनमें सृजनात्मक कार्य करना। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोककर उनमें जमीन से जुड़ने को भावना करना।

गहिलाओं विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक रूप से दुर्बल गहिलाओं के

पूजा शर्मा
(कोषाध्यक्ष)

(2)

